कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।
वन भवन, चतरा— 825401 (झारखण्ड)
E-mail:- dfo-chatrasouth@gov.in Phone - 8987790213

पत्रांक 303 दिनांक 13/02/2024

सेवा में,

परियोजना पदाधिकारी,
मगध ओ0सी0पी0, सी0सी0एल0,
पोस्ट— टण्डवा, जिला— चतरा।

विषयः— टण्डवा प्रखण्ड अन्तर्गत मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु 88.96 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल 18.66 हे0 एवं लातेहार वन प्रमंडल 70.30 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग — आपका पत्रांक PO/Magadh OCP/E&F/2023-24/3542 Dated 23.01.2024 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 1026 दिनांक 28.04.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के सन्दर्भ में सूचित करना है कि विषयगत रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु समर्पित प्रस्ताव पर इस कार्यालय के पत्रांक 436 दिनांक 08.02.2024 द्वारा 21 बिन्दुओं पर आपत्ति व्यक्त करते हुए संशोधित प्रस्ताव समर्पित करने हेतु प्रस्ताव वापस की गई थी। वापस की गई प्रस्ताव के आलोक में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपके द्वारा संशोधित कर समर्पित की गई है। अवलोकनोपरांत त्रूटियाँ/आवश्यक अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न नही है जो निम्नवत है :—

1. इस कार्यालय द्वारा पूर्व में किए गए Query. (पत्रांक— 436 दिनांक— 08.02.2024) का Para-wise reply अप्राप्त है।
2. वनभूमि अपायेजन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में पूर्व में NKTL (नॉर्थ करणपुरा से टण्डवा) 400KV/DC प्रस्ताव सं. FP/JH/TRANS/40694/2019, द्वारा भी प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन क्षेत्र सम्मिलित है, जिसे भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है। अतः इसमें सुधार की आवश्यकता है।
3. स्थल निरीक्षण के कम में पाया गया कि प्रस्तावित वनभूमि पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में सक्षम स्तर से पूर्वानुमति के बिना निर्माण कार्य कराया गया है जो वन संरक्षण अधिनियम—1980 का उल्लंघन है। अतः इस संबंध में दोषी कर्मियों, पदाधिकारियों की सूची उपलब्ध करायी जाय, ताकि वन संरक्षण एवं संवर्द्धण अधिनियम—1980 एवं भारतीय वन अधिनियम की धराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सके।

अतः उपरोक्त त्रूटियाँ रहने के कारण प्रस्ताव को वापस की जा रही है।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन,
13.2.24
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।
वन भवन, चतरा— 825401 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (o) - 06541- 222303 E-mail:- dfochatrasouth@gmail.com

पत्रांक दिनांक

सेवा में

परियोजना पदाधिकारी,
मगध ओ0सी0पी0,
सी0सी0एल0,
पोस्ट—टण्डवा, चतरा।

विषयः— टण्डवा प्रखंड अन्तर्गत मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु 88.96 हे0 (चतरा दक्षिणी —18.66 एवं लातेहार—70.30 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक शून्य दिनांक 20.10.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधिन पत्र द्वारा टण्डवा प्रखंड अन्तर्गत मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु 88.96 हे0 (चतरा दक्षिणी —18.66 एवं लातेहार—70.30 हे0) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। समर्पित प्रस्ताव की जाँच भारत सरकार द्वारा निर्गत चेक—लिस्ट के अनुसार किया गया। जाँचोपरांत कतिपय त्रूटियाँ/आवश्यक अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न नही है, जो निम्नवत है—

1. पार्ट—I की कंडिका A-I (III) में वनभूमि लेने का क्या औचित्य है के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नही है।
2. पार्ट—I की कंडिका (B) में No. of Segments: Five अंकित है जबकि कुल रकबा एक ही Segments मे दर्शाया गया है, बाकि Segments में 0 अंकित है इसे स्पष्ट किया जाय।
3. पार्ट—I की कंडिका D (ii) में Alternative examine is required to be provided: No. अंकित है जबकि यह एक Linear project है बिना Alternative रूट दर्शाये हुए प्रस्ताव पर विचार करना नियम संगत नही है।
4. पार्ट—I की कंडिका H (i) में Environment (Protection) Act 1986: No अंकित है इसके द्वारा जबकि कोयला परिवहन होगा ऐसी स्थिति में (EC) पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता है।
5. विषयगत Forest Clearance का प्रस्ताव समर्पित करने एवं पत्राचार करने हेतु श्री आलोक कुमार, मुख्य प्रबंधक (Mining) **को** Authorized किया गया है, जबकि प्रस्ताव के सभी पृष्ठों पर Magadh Project Officer का मुहर एवं हस्ताक्षर अंकित है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाय।
6. प्रस्ताव में संलग्न Summary of Magadh Railway Siding **में** प्रमंडलवार मौजा को अलग—अलग नही दर्शाया गया है। इसमें सुधार की आवश्यक्ता है।
7. विषयगत प्रस्ताव में NBCC रोड निर्माण एवं कोल खनन हेतु ग्राम सभा की प्रति प्रस्ताव में लगाने का क्या औचित्य है, स्पष्ट करें।
8. प्रस्ताव के साथ Authentic Land Schedule संलग्न नही है।
9. प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि वन्यप्राणी आश्रयणी /ESZ/ Tiger Project का भाग नही है के संबंध में वचन बद्धता प्रमाण—पत्र संलग्न नही है।
10. विषयगत प्रस्ताव में Minimum Use of Forest Land से संबंधित वचन बद्धता प्रमाण—पत्र संलग्न नही है।
11. प्रस्ताव में वनाधिकार अधिनियम—2006 से संबंधित प्रमाण—पत्र एवं इस क्रम में हुई ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही के संबंध में Undertaking संलग्न नही है।

12. विषयगत प्रस्ताव में भारत/राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य शर्त लगाये जाते है तो उसे मान्य होगा से संबंधित Undertaking संलग्न नही है।
13. प्रस्ताव के साथ Gov-reference Map in Shape File संलग्न है, परन्तु भारत सरकार द्वारा प्रमाणित के अनुरूप नही है।
14. प्रस्ताव में संलग्न टोपो मैप 1.50000 स्केल पर दर्शाये गये Magadh Railway Siding निर्माण हेतु Alignment के अवलोकन नही हो पा रहा है। अतः संलग्न टोपो मैप अपठनीय है।
15. विषयगत परियोजना में प्रभावित चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल हेतु वनभूमि में GMJJ भूमि शामील नही है के संबंध में Undertaking संलग्न नही है।
16. वृक्षों की पातन से संबंधित गणना सूची सारांश के साथ संलग्न नही है।
17. Alternative Rout दर्शाते हुए टोपो मैप संलग्न नही है।
18. प्रस्ताव में संलग्न सभी पृष्ठो पर Numbering के साथ प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम एवं मुहर युक्त हस्ताक्षर आवश्यक है एवं तैयार किये गये चेक–लिस्ट पर भी हस्ताक्षर अनिवार्य है।
19. प्रस्ताव के साथ Archaeological Importance से संबंधित Structure विषयगत परियोजना में है या नही के संबंध में Undertaking संलग्न नही है।
20. जिला से संबंधित मूल–भूत सूचनाएँ संलग्न नही है।
21. परियोजना से संबंधित Brielle Profile संलग्न नही है।

अतः उपरोक्त कमियाँ होने पर आवश्यक अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न नही रहने के कारण प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस की जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–

वन प्रमंडल पदाधिकारी,

चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल

ज्ञापांक 436 दिनांक 08/02/2021

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

06.2.2021

वन प्रमंडल पदाधिकारी,

चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल

6/2/2021

कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।
वन भवन, चतरा— 825401 (झारखण्ड)
Ph. & Fax (o) - 06541- 222303
E-mail:- dfochatrasouth@gmail.com

पत्रांक 1026 दिनांक 28/04/2023

सेवा में

परियोजना पदाधिकारी,
मगध ओ0सी0पी0,
सी0सी0एल0,
पो0— टण्डवा, जिला— चतरा।

विषयः— टण्डवा प्रखंड अंतर्गत मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु 88.96 हे० (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल 18.66 हे0 एवं लातेहार वन प्रमंडल 70.30 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :— इस कार्यालय के पत्रांक 436 दिनांक 08.02.2021, पत्रांक 2000 दिनांक 03.08.2021, पत्रांक 2586 दिनांक 26.10.2021, पत्रांक 1062 दिनांक 14.06.2022 एवं पत्रांक 134 दिनांक 10.01.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के सन्दर्भ में सूचित करना है कि विषयगत रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु समर्पित प्रस्ताव पर इस कार्यालय के पत्रांक 436 दिनांक 08.02.2021 द्वारा 21 बिन्दुओं पर आपत्ति व्यक्त करते हुए संशोधित प्रस्ताव समर्पित करने हेतु ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रस्ताव वापस की गई थी एवं प्रासंगिक पत्रों द्वारा स्मारित भी किया गया था परन्तु लगभग दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी संशोधित प्रस्ताव अबतक अप्राप्त है।

अतः पुनः अनुरोध है कि सभी त्रुटियों का निराकरण करते हुए संशोधित ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित किया जाय ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकें।

विश्वासभाजन,

28/4/23

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

21/4/23 24.4.23